तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज चैनाराम बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 71 / 2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.06.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी चैनाराम पुत्र बुधाराम मेघवाल पता वार्ड नं.–1, गण्डेरों की ढाणी पोस्ट कालीबेरी, वाया सूरसागर जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 29.01.18 में उसके द्वारा (1) जोधपुर से बेरू सालोड़ी जाने वाली सड़क मार्ग जिसकी कालीबेरी से गण्डरों की ढाणी तक सड़क मार्ग का सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार कितनी चौड़ाई है इस मार्ग का निर्माण कब हुआ एवं इसके निर्माण के समय इस सड़क मार्ग के बीच में व उसकी सीमा में आने वाले घरों को हटाने व निजी खसरा धारकों को कितना मुआवजा दिया गया। दिये गये मुआवजा धारकों का नाम एवं राशि सहित सूचना की सत्यापित प्रतिलिपि, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में प्रमाणित सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Scanned with CamScanner